भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. - 429*

01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सोवा-रिग्पा पारंपरिक चिकित्सक

*429. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आधुनिक विद्यालय प्रमाण-पत्र रखने वाले/न रखने वाले पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित कुल कितने सोवा-रिग्पा चिकित्सक हैं;

(ख) क्या आधुनिक शैक्षिक योग्यता में एक बार छूट दिए जाने के साथ सीसीआईएम/राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के अंतर्गत पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित सोवा-रिग्पा चिकित्सकों के पंजीकरण का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मंत्रालय द्वारा सोवा-रिग्वा पारंपरिक चिकित्सकों के पंजीकरण कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ड.) क्या सरकार की सोवा-रिग्पा में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए सोवा-रिग्पा में अनुसंधान हेतु केंद्रीय परिषद की स्थापना करने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 01 अप्रैल, 2022 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 429* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020 भारतीय चिकित्सा पद्धति (सोवा-रिग्पा सहित) की शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के लिए 11 जून, 2021 से लागू हुआ था। एनसीआईएसएम भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साभ्यासियों के लिए एक राष्ट्रीय पंजिका का रख-रखाव करेगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में लगभग 200 संस्थागत रूप से अर्हताप्राप्त सोवा-रिग्पा के चिकित्साभ्यासी हैं और लेह, लद्दाख, जम्मू व कश्मीर क्षेत्रों में 45 चिकित्साभ्यासी हैं।

(ख), (ग) और (घ): भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम 2020 की धारा 33 की उपधारा (1) विनिर्दिष्ट करती है कि "यदि किसी व्यक्ति के पास इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति में मान्यता प्राप्त अर्हता है और वह धारा 15 के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय एक्जिट परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने का लाइसेंस दिया जाएगा और पहले वह अपना नाम और योग्यताएं इस अधिनियम के अंतर्गत रखी गई राज्य पंजिका में और तत्पश्चात राष्ट्रीय पंजिका में दर्ज कराएगा।" तदनुसार सोवा-रिग्पा की मान्यताप्राप्त अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति संबंधित राज्य पंजिकाओं में नामांकित होते हैं और सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने के लिए पात्र होते हैं। दिनांक 05 अप्रैल, 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. स.आ.1672 (अ) द्वारा आयुष मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (अब एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020) की दूसरी अनुसूची में बैचलर ऑफ तिब्बतन मेडिसिन एंड सर्जरी (बीटीएमएस), बैचलर ऑफ सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसआरएमएस), डॉक्टर ऑफ सोवा-रिग्पा (एमडी/एमएस), बैचलर ऑफ सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस) नामक अर्हताओं को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 अक्तूबर, 2021 की राजपत्र अधिसूचना सं. एफ.5-1/2017 (सीपीपी)-II द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बैचलर ऑफ सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसआरएमएस) डिग्री को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत डिग्रियों के विशेष वर्णन में शामिल किया है।

पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित सोवा-रिग्पा के चिकित्साभ्यासियों के पंजीकरण के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 के अधीन कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित सोवा-रिग्पा के चिकित्साभ्यासियों के अधिकार एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 की धारा 34 की उपधारा 3 (ग) द्वारा सुरक्षित हैं जिसमें विनिर्दिष्ट किया गया है कि "राज्य में न्यूनतम 5 वर्ष से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का अभ्यास करने वाले व्यक्ति का उस राज्य में अभ्यास जारी रखने का अधिकार होगा जहां इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख तक भारतीय चिकित्सा पद्धति की राज्य पंजिका का रख-रखाव नहीं किया जाता।"

(ड.) और (च): वर्ष 2019 में लेह, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान की स्थापना की गई है जिसका अधिदेश सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धति के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करना तथा प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से सोवा-रिग्पा संबंधी अंतरविषयक शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ करना तथा विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के समेकन को सुविधाजनक बनाना भी है। राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान, लेह के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) सोवा-रिग्पा में गुणवत्तायुक्त शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना।
(ii) सोवा-रिग्पा में अधिक प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करना।
(iii) उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना तथा सोवा-रिग्पा में मौलिक अनुसंधान, औषध सुरक्षा मूल्यांकन, मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और वैज्ञानिक विधिमान्यकरण पर बल देना।

(iv) सोवा-रिग्पा चिकित्सकों और शिक्षकों को पुनर्विन्यास प्रशिक्षण और सतत चिकित्सा शिक्षा मुहैया कराना।

(v) सोवा-रिग्पा की क्षमता और ताकत के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा सोवा-रिग्पा की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना।

(vi) सोवा-रिग्पा में स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्र तैयार करना।

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय आयुर्ज्ञान योजना (पूर्व में बहिर्वर्ती अनुसंधान योजना) नामक केंद्रीय क्षेत्रक योजना क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें "आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार" उक्त योजना का एक घटक है। इस घटक के अंतर्गत, आयुष की सभी पद्धतियों (सोवा-रिग्पा सहित) में अनुसंधान कार्यकलापों के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

*****